Toppersnotes®
Unleash the topper in you

3rd - ग्रेड

अध्यापक

लेवल - द्वितीय

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

भाग - 4

सामान्य ज्ञान एवं स्कूल शिक्षा

SIERRA INNOVATIONS

3rd GRADE TEACHER

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	राजनीतिक विज्ञान	
1.	उच्च न्यायालय	1
2.	राज्य सरकार	5
3.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद	11
4.	राज्य की राजनीति घटनाक्रम	25
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (**RPSC**)	31
6.	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	34
7.	राज्य निर्वाचन आयोग	36
8.	राज्य सूचना आयोग	38
9.	राज्य वित्त आयोग	40
10.	राज्य महिला आयोग	42
11.	स्थानीय स्वशासन	43
12.	पंचायती राज	45
13.	जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था	49
	स्कूल शिक्षा	
14.	शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा	55
15.	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE)	69
16.	सर्व शिक्षा अभियान (SSA)	74
17.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)	79
18.	समग्र शिक्षा अभियान (समसा)	85
19.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	86
20.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)	88
21.	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र	91
22.	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (RSTB)	91

23.	राजस्थान शिक्षा पहल (REI)	92
24.	सूचना एवं संचार तकनीकी	94
25.	निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम – 2009	118

विविध

1.	भारत के प्रमुख बांध	129
2.	भारत के पक्षी अभ्यारण	130
3.	भारत की जनसंख्या	130
4.	भारत के प्रमुख बंदरगाह	131
5.	भारत में प्रमुख नृत्य	132
6.	अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं	133
7.	भारत के प्रमुख स्टेडियम	133
8.	प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम	134
9.	भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता	135
10.	राज्य एवं उनके मुख्यमंत्री	135
11.	भारत के राष्ट्रपति	137
12.	भारत के प्रधानमंत्री	137
13.	लोकसभा अध्यक्ष	138
14.	संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान एवं पूर्व चेयरमैन	139
15.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	139
16.	प्रमुख उच्च न्यायालय	140
17.	भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश	141
18.	नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय	142
19.	भारत में सर्वाधिक बडा, लम्बा एवं ऊँचा	143
20.	भारत में प्रथम पुरूष एवं महिला	144
21.	यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व धरोहर स्थल	147
22.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह	148
23.	अविष्कार–अविष्कारक	149

24.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण तथ्य	151
25.	प्रसिद्ध पुस्तक व उनके लेखक	153
26.	खेलकूद	155
27.	रामसर साइट/नम/आर्द्र संरक्षित क्षेत्र	160
28.	विश्व की प्रमुख जल संधि	162

उच्च न्यायालय

- संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनु. 214 से 232 तक इसका उल्लेख है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, लेकिन दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।
- केन्द्रशासित प्रदेशो के लिए केवल दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करें।
- भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न–भिन्न होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात् 58 है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 456 है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई है –
  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. भारत में कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो। तथा
  3. किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम–से–कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते है।
- उच्चतम तथा उच्च न्यायालय (सेवा शर्ते) संशोधन अधिनियम, 1998 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रू. 90,000/– तथा न्यायाधीशों को रू. 80,000/– मासिक वेतन के रूप में मिलते है।
- न्यायाधीशों के वेतन और भत्तें भारत की संचित निधि पर भारित होते है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ ग्रहण करनी पडती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है।
- उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नही कर सकता है। परन्तु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है।
- उच्च न्यायालय को निम्नांकित क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैः–
  1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय को राजस्व तथा राजस्व संग्रह संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है। इसके अतिरिक्त, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को वसीयत, विवाह–विच्छेद, विवाह विधि, कम्पनी कानून तथा उच्च न्यायालय का अपमान इत्यादि से संबंधित मुकदमों को सुनने का अधिकार है।

2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्त सभी न्यायालयो न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
3. **पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार** – उच्च न्यायालय को कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है।
4. **अंतरण का क्षेत्राधिकार** – यदि उच्च न्यायालय के विचार में किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में किसी कानून की व्याख्या का कोई विशेष प्रश्न हो, तो वह उस मुकदमें को अपने पास मँगवा सकता है।
5. **प्रमाण पत्र देने का अधिकार** – उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरूद्व उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है।
6. **अभिलेख न्यायालय** – उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है।
7. **प्रशासकीय अधिकार** –

   (i) अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही का विवरण माँग सकते है।

   (ii) अपने अधीनस्थ न्यायालयों कर कार्यवाही के संबंध में नियम बना सकते है।

   (iii) किसी मुकदमे को अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकते

   (IV) अपने अधीनस्थ न्यायालयो के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा आदि के नियम निर्धारित कर सकते है।

   (V) जिला न्यायालय तथा इससे छोटे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और छुट्टी इत्यादि के संबंध में नियम बना सकते है।

- 2012 के द्वारा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को गुवाहाटी से अलग कर दिया गया और तीनों को स्वतंत्र उच्च न्यायालय बना दिया।
- देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है।
- दिल्ली एक मात्र संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है।
- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 + 1 = कुल 34 है।
- सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 04 है।

क्रं.सं	उच्च न्यायालय	स्थापना	अधिकारिता	स्थित न्यायालय
1	मुम्बई	1862	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली और गोवा, दमन और दीव	मुम्बई न्यायालय
2	कलकत्ता	1862	प. बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार	कलकत्ता
3	मद्रास	1862	तमिलनाडु, पुडुचेरी	मद्रास
4	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
5	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बैंगलूर
6	पटना	1916	बिहार	पटना
7	गुवाहाटी	1948	असम, नागालैण्ड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
8	उडीसा	1948	उडीसा	कटक
9	राजस्थान	1950	राजस्थान	जोधपुर
10	तेलंगाना		तेलंगाना	हैदराबाद
11	केरल	1956	केरल, लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
12	मध्यप्रदेश	1956	मध्यप्रदेश	जबलपुर
13	जम्मू–कश्मीर	1957	J.K	श्रीनगर एवं जम्मू
14	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
15	दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
16	पंजाब, हरियाणा	1966	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ	चंडीगढ
17	हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल	शिमला
18	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
19	छत्तीसगढ	2000	छत्तीसगढ	बिलासपुर
20	झारखण्ड	2000	झारखण्ड	राँची
21	उत्तराखण्ड	2000	उत्तराखण्ड	नैनीताल
22	मणिपुर	2013	मणिपुर	इम्फाल
23	मेघालय	2013	मेघालय	शिलांग
24	त्रिपुरा	2013	त्रिपुरा	अगरतला
25	आन्ध्रप्रदेश	2019	आन्ध्रप्रदेश	अमरावती

न्यायालय का गठन

- अनुच्छेद 216 में उल्लेख
- अनुच्छेद 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224 – अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
- राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार–विमर्श करता है।

विशेष

- उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व शक्तियों के निर्धारण का अधिकार संसद को है।
- न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण व नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है।

कार्यकाल – उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक रहता है।

त्यागपत्र – त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।

हटाना – कदाचार के आधार पर दोनो सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है।

विशेष –

- अब तक न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
- पहली बार यह प्रक्रिया 1991 में आर.रामास्वामी के विरूद्ध हुई समिति ने न्याय को दोषी पाया पर लोकसभा में कांगेस दल में मतदान में भाग नहीं लिया। जिससे प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित नहीं हो सका।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्रसेन पर महाभियोग की प्रक्रिया हुई लेकिन उसने महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करने से पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था।

योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसे 10 वर्ष का न्यायिक पद का अनुभव हो।
3. किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्षो तक अधिवक्ता रहा हो।

शपथ

राज्यपाल के समक्ष लेता है।

पद	वेतन, भत्ता (वर्तमान)	प्रस्तावित
भारत के मुख्य न्यायाधीश	1,00,000	2,80,000
भारत के अन्य न्यायाधीश	90,000	2,50,000
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	90,000	2,50,000
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	80,000	2,25,000

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

मुख्यतः तीन भागों में बाँटा गया है–

1. न्याय संबंधी
2. प्रशासन संबंधी
3. न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी

राजस्थान मे शैक्षिक प्रबंधन

आधुनिक शिक्षा

1. बालिका शिक्षा 1866–1867
   गर्ल्स स्कूल, जोधपुर
   सावित्री गर्ल्स स्कूल, अजमेर
   सोफिया गर्ल्स स्कूल, अजमेर

3. शासक वर्ग
   नोबल स्कूल, जयपुर
   वॉल्टर नोबल स्कूल, बीकानेर

2. ईसाई मिशनरी स्कूल, 1960
   ईसाई मिशनरी स्कूल, ब्यावर

स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में शिक्षा

- राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत 1950।
- राजस्थान में स्कूल शिक्षा का विभागाध्यक्ष, शिक्षामंत्री।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष, निदेशक/आयुक्त।
- राजस्थान में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा का विभाजन 1997।

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान में शिक्षा (स्वतंत्रता पूर्व विकास आधुनिक)

1. अजमेर (1819) प्रथम पादरी (जावेज कैरी)
2. जयपुर (1844) महाराजा स्कूल
3. उदयपुर (1863) शम्भूरत्न स्कूल
4. जोधपुर (1869) दरबार स्कूल

राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का जनक – जावेज कैरी

- सबके लिए शिक्षा सुलभ कराने तथा शैक्षिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जन–सामान्य में शिक्षा का विस्तार एवं प्रसार करने के लिए सन् 1950 ई. में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, राजस्थान बीकानेर की स्थापना की गई।
- इसके बाद सन् 1959 ई. में पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की प्रारम्भिक शिक्षा के संचालन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों को अधिकार दिये गये।
- सन् 1997 में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा को पृथक–पृथक संचालित करने के उद्देश्य से दोनों के निर्देशालयों को अलग–अलग कर दिया।
- इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने 1 जनवरी, 1998 ई में अलग होकर विधिवत् कार्य शुरू किया।
- इसके बाद सन् 2001 ई में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए इसे पुनः निदेशालय को सौंप दिया गया।
- आगे चलकर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग' के अधीन कर दिया (2010)।

माध्यमिक विभागीय प्रकाशन

1. शिविरा – शिक्षा विभाग राजस्थान

- प्रकाशन प्रारम्भ –1960
- प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा विभाग
- हिन्दी माध्यम से मासिक पत्रिका (वर्ष में अंक–11)

2. नया शिक्षक (Teacher Today)

- हिन्दी व अंग्रेजी की त्रैमासिक पत्रिका

3. शिक्षक दिवसीय प्रकाशन

- प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस को प्रकाशित होती है।
- प्रकाशन 1967 से प्रारम्भ हुआ।
- इसके प्रकाशन में राजस्थान शिक्षा विभाग के कार्मिकों की सृजनात्मक रचनाएँ प्रकाशित की जाती है।

नोट :– 2015 से शिक्षक दिवसीय प्रकाशन बन्द कर दिया और अब इसका प्रकाशन शिविरों में शिक्षक दिवस विशेषांक के रुप में प्रकाशित होता है।

राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध की संरचना

प्रशासन एवं प्रबंध (प्रा.शि.)

सचिवालय स्तर

↓

शिक्षामंत्री (प्रा.शि., राज. सरकार)

↓

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

↓

शासन सचि. एवं उपशासन सचिव प्रा. शि.
एवं उपशासन सचिव प्रा. शि. (आयोजन)

निदेशालय स्तर

↓

निदेशक (प्रा. शि. बीकानेर)

↓

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन एवं अ.नि. शैक्षिक (प्रा. शि.)

↓

उपनिदेशक एवं मंडल स्तर के उप–निदेशक (प्रा.शि.)

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि)

- जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) होता है।
- खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध हेतु अतिरिक्त विकास अधिकारी या ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है।

राज्य स्तरीय प्रशासन एवं प्रबंध के कार्य

1. प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित निति नियोजन एवं क्रियान्वयन
2. शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन
3. प्रा. शिक्षा का विस्तार
4. अनौपचारिक एवं सतत्–शिक्षा का विकास
5. प्रारम्भिक शिक्षा को लागु करना।

6. शैक्षिक प्रबंध हेतु नीति नियोजन/वित्त प्रबंध

प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के अधीन दो प्रकार की संस्थाएँ इनके निर्देशन में संचालित होती है।

1. राजकीय संस्थाएँ 2. स्वायत्तशाली संस्थाएँ

राजकीय संस्थाएँ

- निदेशालय प्रा. शि. राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर।
- राज. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (S.I.E.R.T) उदयपुर।
- पंजीयक, विभागीय परीक्षा, बीकानेर।
- पंचायती राज निदेशालय, जयपुर।

निदेशालय प्रा. शिक्षा, राज. बीकानेर

प्रा. शि. की नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वय प्रा. शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं उनयन्न हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य गोष्ठियों का आयोजन प्रा. शि. के लिए केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्यन, शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का संचालन तथा शिक्षा से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को एकत्रित करना तथा सेवारत अध्यापकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि।

निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राज. जयपुर

सम्पूर्ण साक्षरता उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं का संचालन।

राज. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम एवं निर्माण एवं संशोधन, विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन शैक्षिक प्रबंध एवं नवाचार शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं शिक्षा से जुड़ें अनेक प्रकार के अनुसंधान एंव प्रशिक्षण।

पंचायती राज निदेशालय, जयपुर

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का संचालन इसी के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को सौंप दिया है।

पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर

इस कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष उपनिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। इसी कार्यालय में एक पद जिला शिक्षा अधिकारी का और एक वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी का होता है। यह कार्यालय विभिन्न प्रकार की विभागीय परीक्षाएँ आयोजित करता है, मूल्यांकन करता है और परिणाम की घोषणा करता है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का मुद्रण एवं वितरण भी इसी कार्यालय द्वारा किया जाता है जिन पर पंजीयक (रजिस्ट्रार) के हस्ताक्षर होते हैं।

पंजीयक विभागीय परीक्षा निर्देशक की सहायता से नीति निर्माण करता है और विभिन्न परीक्षाओं के नियम निर्धारित करता है।

इस कार्यालय को विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त करने और व्यय करने का भी अधिकार होता है।

इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार की परीक्षाएँ सम्पादित करायी जाती है–

1. प्राथमिक शिक्षक–प्रशिक्षण परीक्षा (S.T.C.) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
2. संगीत भूषण परीक्षा
3. संगीत प्रभाकर परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
4. विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा।
5. पत्राचार (दूरस्थ) शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा

स्वायत्तशासी संस्थाएँ [HM - 2011]

प्रा. शि. परिषद् जयपुर

राज्य के प्रारम्भिक शिक्षाओं से संबंधित यह परिषद् भारत सरकार, विश्व बैंक एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन से शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार एवं भौतिक संसाधनों के विकास और रख–रखाव का काम करती है। यह परिषद् शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचारी शिक्षा के लिए प्रयास करती है।

प्रा. शि. में सर्वशिक्षा अभियान (SSA) का नोडल अभिकरण एजेंसी है।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर (R.S.T.B)
यह मण्डल कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण करता है।

राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर

ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूर–दराज की ढाणियों में स्थित राजीव गाँधी स्वर्ग जयंती पाठशालाओं मे 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की शिक्षा हेतु स्थानीय युवक–युवतियों के माध्यम से पाठशालाओं का संचालन, शिक्षाकर्मियों हेतू समय–समय पर विभिन्न प्रकार की कार्य गोष्ठियाँ और प्रशिक्षणों का आयोजन।

राज. मदरसा बोर्ड, जयपुर

विभिन्न मदरसों का पंजीयन तथा सदस्यों में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षा कर्मियों का चयन, नियुक्त एवं उनके मानदेय (वेतन) का भुगतान मदरसा शिक्षा कर्मियों के उन्नयन एवं गुणवत्ता शिक्षा के लिए उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना केन्द्र राज्य सरकार की योजनाओं का संचालन, विभिन्न प्रकार के सुधारों हेतु राज्य सरकार को सुझाव निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं मदरसों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री का क्रय करना और वितरण करना।

माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध एवं प्रशासन

सन 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों के पृथक–पृथक हो जाने के बाद 1 जनवरी, 1998 से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर स्वतंत्र कार्यलय के रूप में कार्य कर रहा है।

माध्यमिक शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के कार्य

- माध्यमिक शिक्षा हेतु नीति नियोजन एवं उनका क्रियान्वयन
- माध्यमिक शिक्षा में प्रबंध एवं प्रशासन संबंधी कार्य
- माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार

- शिक्षक–शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन
- माध्यमिक शिक्षा हेतु नीति नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध
- भाषागत प्रोत्साहन

माध्यमिक शिक्षा में प्रशासन के स्तर

- राज्य स्तर
- मण्डल स्तर
- जिला स्तर
- ब्लॉक स्तर
- पंचायत स्तर

नोट – एकीकृत शिक्षा संकुल पद्धति 8 अगस्त, 2018 से राजस्थान में लागू की गई अर्थात् राजस्थान में शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया।

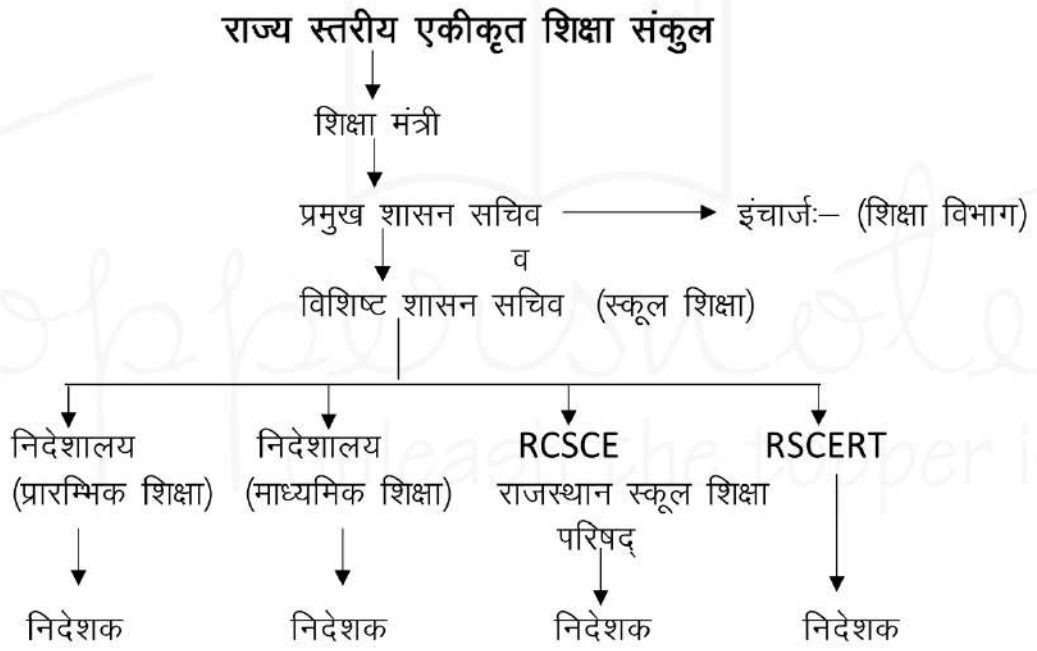

राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा का इंचार्ज प्रमुख शासन सचिव को बनाया गया है। इसके अधीन 4 संस्थाओं की स्थापना की गई है।

1. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा
2. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा
3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
4. RSCERT

भारत के प्रमुख बांध की सूची

राज्य	नाम	नदी का नाम
आंध्र प्रदेश	सोमासिला बांध	पेनार नदी
	श्रीशैलम बांध	कृष्णा नदी
गुजरात	उकाई बांध	तापी नदी
	धरोई बांध	साबरमती नदी
	कदाना बांध	माही नदी
	दंतीवाडा बांध	बनस नदी
हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा	भाखडा नागल बांध	सतलज नदी
हिमाचल प्रदेश	पोंग बांध	व्यास नदी
	नाथपा झाकडी बांध	सतलज नदी
	चमेरा बांध	रवि नदी
जम्मू कश्मीर	बगलिहार बांध	चेनाब नदी
	दुलहस्ते बांध	चिनाब नदी
	डरीहाइड्रोइलेक्ट्रीक बांध	झेलम नदी
झारखंड	मैथन बांध	बराकर नदी
	चंडील बांध	स्वर्ण रेखा नदी
	पंचेत बांध	दामोदर नदी
कर्नाटक	तुंगा भद्रा बांध	तुंगभद्रा नदी
	लिंगानामाकी बांध	शारवती नदी
	कद्र बांध	कालिंदी नदी
	अलामाट्टी बांध	कृष्णा नदी
	सुपा बांध	कालिंदी या काली नदी
	कृष्णा राजा सागर बांध	कावेरी नदी
	हरंगी बांध	हरंगी नदी
	नारायणपुर बाध	कृष्णा नदी
	कोडदाल्ली बांध	काली नदी
केरल	मालमपुझा बांध	मालमपुझा नदी
	पिची बांध	मनाली नदी
	इडुक्की बांध	पेरियार नदी
	कुंडला बांध	कुंडला झील
	परंबिकुलम बांध	परंबिकुलम नदी
	वालयार बांध	वालयार नदी
	मुल्लापेरियार बांध	पेरियार नदी
	नेपीयार बांध	नेययार नदी
मध्यप्रदेश	बर्ना बांध	बर्ना नदी
	बरगी बांध	नर्मदा नदी
	बसंगर बांध	सोन नदी
	गांधी सागर बांध	चंबल नदी
महाराष्ट्र	येदारी बांध	पूर्णा नदी
	उजनी बांध	भीमा नदी
	पवना बांध	मावल नदी
	मुलशी बांध	मुला नदी
	कोयना बांध	कोयना नदी
	जायकवाडी बांध	गोदावरी नदी
	भट्टा बाध	भस्सा नदी
	विल्सन नदी	प्रवरा नदी
	तंसा बांध	तन्सा नदी
	पंशेत बांध	अंबीनदी
	मुला बांध	मुला नदी
	कोलकावाडी बांध	वशिष्ठ नदी
	गिरना बांध	गिराना नदी
	वैतरना बांध	वैतरना नदी
	खडकवासला बांध	मुथा नदी
	गंगापुर बांध	गोदावरी नदी
तेलंगाना	राधागारी बांध	भगवती नदी
	लोअर मैनेर बांध	मैनेर नदी
	श्रसंगुर बांध	मंजजीरा नदी
	निजाम सागर बांध	मंजजीरा नदी
ओडीसा	इंद्रवती बांध	इंद्रवती नदी
	हीराकुंड बांध	महानदी
तमिलनाडु	वैगी बांध	वैगी नदी
	परंचानी बांध	परलालयर नदी
	मेट्टूर बांध	कावेरी नदी
उत्तराखंड	टिहरी बांध	भागीरथी नदी
	धौली गंगा बांध	धौली गंगा नदी

भारत के पक्षी अभ्यारण

भारत सबसे आश्चर्यजनक और शानदार पक्षी आभ्यारण्यो का भूमि है जो न केवल अपने मनोरम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी समृद्ध और विदेशी जैव विविधता, रूप से पक्षी प्रजातियो के लिए प्रसिद्ध है ।

1	कागलगाडु पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
2	मगदी पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
3	रंगा थिट्टु पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
4	कडलुंडी पक्षी अभयारण्य	केरल
5	कुमारकम पक्षी अभयारण्य	केरल
6	मंगलवनम पक्षी अभयारण्य	केरल
7	मयानी पक्षी अभयारण्य	महाराष्ट्र
8	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य	महाराष्ट्र
9	लैंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य	मिजोरम
10	चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
11	काजीरंकुरम पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
12	कुथानकुलम पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
13	वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
14	गागा वन्यजीव अभयारण्य	नई दिल्ली - उत्तर प्रदेश
15	7 नल सरोवर पक्षी अभयारण्य	गुजरात
16	भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य	हरियाणा
17	खपरवासवन्य जीव अभयारण्य	हरियाणा
18	बोतल पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
19	नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य	आन्ध्रप्रदेश
20	उपपालपड्डू पक्षी अभयरण्य	आंध्रप्रदेश
21	नजफगढ पक्षी अभयारण्य	नई दिल्ली
22	ओखला पक्षी अभयारण्य	नई दिल्ली
23	सामन अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
24	समसपुर अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
25	सैंडी पक्षी अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
26	चिंतमनी कार पक्षी अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
27	रायगंज वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
28	सुचिन्द्रम थेरूर पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
29	उद्यमार्थदम पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
30	वाडुवुर पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
31	जखिरा अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
32	लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
33	नवाबगंज पक्षी अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
34	वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
35	वेल्लोड पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
36	वेटांगुडी पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
37	करीवीती पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
38	करीकीली पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
39	पुलिकेट झील पक्षी	अभयारण्य तमिलनाडु
40	पटना पक्षी अभयारण्य	उत्तर प्रदेश

भारत की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि
1901	23,83,96,327	-
1911	25,20,93,390	5.75
1921	25,13,21,213	-0.31
1931	27,89,77,238	11.00
1941	31,86,60,580	14.22
1951	36,10,88,090	13.31
1961	43,92,34,771	21.64
1971	54,81,59,652	24.80
1981	68,63,29,097	24.66
1991	54,33,87,888	23.86
2001	102,70,15,247	21.54
2011	1,21,08,54,977	17.7

टॉप 5 राज्य जनगणना 2011 के अनुसार

सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य (घटते क्रम में) (करोड में)		न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य (बढते क्रम में) (लाख में)	
1 उत्तर प्रदेश	19.9	सिक्किम	6.10
2 महाराष्ट्र	11.2	मिजोरम	10.9
3 बिहार	10.3	अरूणाचल प्रदेश	13.8
4 पश्चिम बंगाल	9.1	गोवा	14.5
5 आन्ध्रप्रदेश	8.4	नागालैण्ड	19.7

सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य		न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य	
1 मेघालय	27.9	नागालैण्ड	-0.6
2 अरूणाचल प्रदेश	26.0	केरल	4.9
3 बिहार	25.4	गोवा	8.2
4 जम्मू-कश्मीर	23.6	आन्ध्रप्रदेश	11.0
5 मिजोरम	23.5	सिक्किम	12.9

सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य		न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य	
1 बिहार	1,106	अरूणाचल प्रदेश	17
2 प.बंगाल	1,028	मिजोरम	52
3 केरल	860	सिक्किम	86
4 उत्तर प्रदेश	829	नागालैण्ड	119
5 हरियाणा	573	हिमाचल प्रदेश	123

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य		न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य	
1 केरल	1084	हरियाणा	879
2 तमिलनाडु	996	जम्मू-कश्मीर	889
3 आन्ध्रप्रदेश	993	सिक्किम	890
4 छतीसगढ	991	पंजाब	895
5 मणिपुर	985	उत्तर प्रदेश	912

सर्वाधिक साक्षर राज्य		न्यूनतम साक्षर राज्य	
1 केरल	94.0	बिहार	61.8
2 मिजोरम	91.3	अरूणाचलप्रदेश	65.4
3 गोवा	88.7	राजस्थान	66.1
4 त्रिपुरा	87.2	झारखण्ड	66.4
5 हिमाचल प्रदेश	82.8	आन्ध्रप्रदेश	67.0

सर्वाधिक महिला साक्षरता		न्यूनतम महिला साक्षरता	
1 केरल	92.1	बिहार	51.5
2 मिजोरम	89.3	राजस्थान	52.1
3 त्रिपुरा	82.7	झारखण्ड	55.4
4 गोवा	84.7	जम्मू-कश्मीर	56.4
5 हिमाचल प्रदेश	75.9	उत्तर प्रदेश	57.2

केन्द्रशासित प्रदेशों का क्रम (जनगणना 2011 के अनुसार)

केन्द्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या (घटते क्रम में)		केन्द्रशासित प्रदेशों का जनघनत्व	
1 दिल्ली	1.6 करोड	दिल्ली	11,320
2 पुदुचेरी	1.2 करोड	चण्डीगढ	9,258
3 चण्डीगढ	10.5 लाख	पुदुचेरी	2,547
4 अण्डमान एवं निकोबार	3.80 लाख	दमन व द्वीप	2,191
5 दादरा व नगर हवेली	3.43 लाख	लक्षद्वीप	2,149
6 दमन व द्वीप	2.43 लाख	दादरा व नगर हवेली	700
7 लक्षद्वीप	64,473 हजार	अण्डमान एवं निकोबार	46
केन्द्रशासित प्रदेशों का लिंगानुपात		केन्द्रशासित प्रदेशों की साक्षरता	
1 पदुचेरी	1,037	लक्षद्वीप	91.8
2 लक्षद्वीप	947	दमन व द्वीप	87.1
3 अण्डमान एवं निकोबार	876	अण्डमान एवं निकोबार	86.6
4 दिल्ली	868	दिल्ली	86.2
5 चण्डीगढ	818	चण्डीगढ	86
6 दादरा व नगर हवेली	774	पुदुचेरी	85.8
7 दमन व द्वीप	618	दादरा व नगर हवेली	76.2

भारत के प्रमुख बन्दरगाह

नाम	नदी/समुद्र/खाडी	राज्य
मुम्बई	अरब सागर	महाराष्ट्र
पाराद्वीप	बंगाल की खाडी	ओडिशा
चेन्नई	बंगाल की खाडी	तमिलनाडु
विशाखापट्टनम्	बंगाल की खाडी	आन्ध्रप्रदेश
काण्डला	कच्छ की खाडी	गुजरात
मुर्मुगाव	अरब सागर	गोवा
जवाहरलाल नेहरू	अरब सागर	महाराष्ट्र
कोचीन(कोच्चि)	अरब सागर	केरल
एन्नौर	बंगाल की खाडी	तमिलनाडु
हल्दिया-कोलकाता	हुगली नदी	पश्चिम बंगाल
तूतीकोरिन	बंगाल की खाडी	तमिलनाडु
न्यू मंगलोर	अरब सागर	कर्नाटक
पोर्ट ब्लेयर	बंगाल की खाडी	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

भारत मे प्रमुख नृत्य

क्लासिकल डांस फॉर्म

1. भारतीय फोक डांस फार्म
2. भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म- भारतीय क्लासिकल के अंदर भी 8 तरह के डांस फॉर्म शामिल है जो कि निम्न है -
   - भरतनाटयम
   - कत्थक
   - ओडिसी
   - कथकली
   - सत्रिया
   - मणिपुरी
   - मोहिनीअटम

भरतनाटयम

भरतनाटयम एक बहुत ही प्रसिद्ध डांस फॉर्म है । इसके बारे में अधिकतर लोग जानते है और यह भारतीय राज्य तमिलनाडू का डांस फॉर्म है ।

कत्थक

कत्थक मुख्यत: उत्तर प्रदेश का मुख्य डांस फॉर्म है कत्थक शब्द का आगमन कथाकार से हुआ है, इसमे भी एक कथाकार संगीत और अपने एक्सप्रेस के जरिये कहानी कहता था । धीरे धीरे इसमें कहानी कहते वक्त डांस का उपयोग बढता गया और इस प्रकार से कत्थक का जन्म हुआ । कत्थक की एक खासियत यह है की इसकी शुरूआत शांत और धीरे से होती है और फिर अंत तक आते-आते ये एक फास्ट डांस में बदल जाता है ।

कत्थकली

कथकली भी केरल का ही एक डांस फॉर्म है, इस भारतीय डांस की उत्पति मंदिरो में हुई थी । इसमें मुख्यत: रामायण और महाभारत की कहानियो को परफोर्म किया जाता है ।

मोहिनीअट्म

इस भारतीय क्लासिकल डांस का मूल केरल से है, और इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसे केवल महिला कलाकार द्वारा ही परफोर्म किया जाता है । यह एक अकेला ऐसा डांस फॉर्म है, जिसे पुरूष नहीं कर सकते ।

कुचीपुडी

कुचीपुडी मुख्यत: भारतीय राज्य आंध्रप्रदेश का मुख्य डांस फॉर्म है । इस डांस को मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा मंदिरो में परफोर्म किया जाता था । इस डांस की थीम भगवत पर आधारित होती है, जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है ।

सत्रिया - इस भारतीय डांस का मूल, भारत के असम राज्य को माना जाता है । इस भारतीय डांस फॉर्म का जनक आज से 500 साल पहले हुये संकरदेव को माना जाता है ।

ओडिसी

इस डांस फॉर्म के नाम से ही स्पष्ट है की यह एक भारतीय राज्य उडीसा का डांस फॉर्म है । यह भारतीय डांस फॉर्म भी भगवान श्री कृष्ण की कहानी पर आधारित होता है ।

1. असम (Assam) - खेल गोपाल बिहू, किलगोथा, अंकियानाट, बिहुआ, राखल, लीला, बगुंरूम्बा, नटपूजा, होटजानई बोर्ड लाजू तबला, चौंगवी नागानृत्य आदि ।
2. नागालेंड (Nagaland) - रेंगमा, चोंग नोगकेम चिंता कजारम्, युद्ध नृत्य, रवैया लिंग, नूरालिप, कुर्सी नागा, युमिके, दोहई आदि ।
3. मणिपुर (Manipur) - महारास, नटराज, लाई हरोबा, संखाल, वसंत रास, थाग्टा आदि ।
4. मिजोरम (Mizoram) - चेरोकान, पारखुपिला आदि ।
5. मेघालय (Meghalaya) - बागला, लाहो आदि ।
6. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) - रीना, चौत, दीवारी, नवरानी, गोन्यो, गोडा, हुल्को, मंदिरी, आदि
7. महाराष्ट्र (Maharashtra) - मोनी, बोहदी, लेजम, लावनी, कोली, गणेश चतुर्थी, तमाशा आदि ।
8. बिहार (Bihar) - वैगा, जदूर, जाया, झीका, सोहराई, पंवरिया, सामा-चकेबा, डॉगा आदि ।
9. पश्चिम बंगाल (West Bangal) - राम भेरे - गम्भीर, जाया, कीर्तन, काठी, महाल, ढाली, मरसिया आदि ।
10. उडीसा (Orissa) - छऊ, पैका, सवारी संचार, घूमरा जदूर मुदारी, गरूड वाहन आदि ।
11. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) - रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा आदि ।
12. केरल (Kerala) - कथकली, ओडम, मोहिनीअट्म, कालीअट्म, पादयानी आदि ।
13. कर्नाटक (Karnataka) - यक्षगान, कुनीता, कर्गा, लाम्बी आदि ।

14. पंजाब (Punjab) – भॉगडा, गिद्दा, डफ, धमान आदि ।
15. राजस्थान (Rajasthan) – घूमर, घापाल, फूंदी, पनिहारी, जिन्दाद नेजा आदि ।
16. तमिलनाडु (Tamil Nadu) – भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्म, कावडी आदि ।
17. गुजरात (Gujarat) – गरबा, डाण्डिया, भवई, रासलीला, लास्या पणिहारी आदि ।
18. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) – राउफ, हिकात, मंदजास, कूद, दण्डीनाच आदि ।
19. गोवा (Goa) – माण्डी, झागोर, खोल, टकनी आदि
20. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) – धामन, छपेली, महासू, नटी, डांगी, चम्बा, थाली आदि ।
21. अरूणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) – पोनुंग, मुखौटा नृत्य आदि ।
22. उत्तराखंड (Uttarakhand) – गढवाली, कुमायूँ, कजरी, झोरा, रासलीला आदि ।
23. झारखंड (Jharkhand) – छऊ, सरहुल, जट-जटिन, करमा, डांगा, सोहराई आदि ।
24. छतीसगढ (Chhattisgarh) – गौडी, करमा, झूमर, डागला, पाली, टपाली आदि ।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ

क्र. सं.	सीमा रेखा	देशों के बीच
1.	मैकमोहन रेखा	भारत एवं चीन
2.	रेडक्लिफ रेखा	भारत एवं पाकिस्तान
3.	डूरण्ड रेखा	पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान
4.	हिंडनवर्ग रेखा	जर्मनी एवं पोलैण्ड
5.	मैजिनो रेखा	जर्मनी एवं फ्रांस
6.	मेनरहीम रेखा	रूस एवं फिनलैण्ड
7.	सीगफ्राई रेखा	जर्मनी एवं फ्रांस
8.	आर्डरन्नेसी रेखा	जर्मनी एवं पोलैण्ड
9.	मैगीनॉट रेखा	जर्मनी एवं फ्रांस
10.	38वीं समानांतर रेखा	उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया
11.	49वीं समानांतर रेखा	संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा

भारत के प्रमुख स्टेडियम

1. वानखेडे स्टेडियम – मुंबई, महाराष्ट्र – क्रिकेट
2. एचपीसीए स्टेडियम – धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश– क्रिकेट
3. फिरोजशाह कोटला ग्राउंड – दिल्ली – क्रिकेट
4. चिंदबरम स्टेडियम – चेन्नई, तमिलनाडु – क्रिकेट
5. ईडन गार्डन – कोलकाता, पश्चिम बंगाल – क्रिकेट
6. जिमखाना ग्राउंड – मुबई, महाराष्ट्र – क्रिकेट
7. जेएससीए स्टेडियम – रांची, झारखंड – क्रिकेट
8. खांडरी स्टेडियम – राजकोट, गुजरात – क्रिकेट
9. सुब्रतरॉय सहारा स्टेडियम – पुणे, महाराष्ट्र – क्रिकेट
10. डॉक्टर डी. वाई. पटेल स्टेडियम – नवी मुंबई महाराष्ट्र – फुटबाल और क्रिकेट
11. नए वीसीए स्टेडियम – नागपुर, महाराष्ट्र – क्रिकेट
12. महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम – इंदौर, मध्यप्रदेश – क्रिकेट
13. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम – हैदराबाद, आंध्रप्रदेश – क्रिकेट
14. APCA – Vdca स्टेडियम – विशाखपट्नम, आंध्रप्रदेश – क्रिकेट
15. इंदिरा गांधी स्टेडियम – विजयवाडा, आंध्रप्रदेश – क्रिकेट
16. बरकतुल्लाह खान स्टेडियम – जोधपुर, राजस्थान– ज्यादातर क्रिकेट के लिए प्रयुक्त
17. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – कोच्चि, केरल – बहुद्धेशीय
18. आईपीसीएल स्पोर्टस कॉम्पलेक्स – वडोदरा, गुजरात – क्रिकेट
19. के. डी. सिंह बाबू स्टेडियम – लखनउ, उत्तर प्रदेश – बहुउद्देशीय
20. Fatorda स्टेडियम मडगांव – गोवा फुटबाल और क्रिकेट
21. मौलाना आजाद स्टेडियम – श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर – क्रिकेट
22. रूप सिंह स्टेडियम – ग्वालियर, मध्यप्रदेश – क्रिकेट
23. इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम – विशाखापट्नम आंध्रप्रदेश – क्रिकेट
24. नाहर सिंह स्टेडियम – फरीदाबाद, हरियाणा – क्रिकेट
25. माधव राव अनुसूचित जाति भारत ग्राउंड – राजकोट, गुजरात – क्रिकेट
26. सैक्टर 16 स्टेडियम – चंडिगढ – क्रिकेट
27. नेहरू स्टेडियम – पुणे, महाराष्ट्र – क्रिकेट (बहुउद्देशीय)
28. विश्वविद्यालय स्टेडियम – तिरूवनंतपुरम, केरल – फुटबाल (बहुउद्देशीय)

29. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम – दिल्ली – (बहुउद्देशीय)
30. कीनन स्टेडियम – जमशेदपुर, झारखंड – क्रिकेट और फुटबाल
31. सरदार पटेल स्टेडियम – अहमदाबाद, गुजरात – क्रिकेट
32. मोती बाग स्टेडियम – वडोदरा, गुजरात – क्रिकेट
33. शेर ए कश्मीर स्टेडियम – श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर – क्रिकेट
34. सवाई मान सिंह स्टेडियम – जयपुर, राजस्थान – क्रिकेट
35. गाँधी खेल परिसर ग्राउंड – अमृतसर, पंजाब – वर्तमान मे क्रिकेट के लिए प्रयुक्त
36. बाराबती स्टेडियम – कटक, उडीसा – क्रिकेट
37. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम – बंगलौर, कर्नाटक – क्रिकेट
38. वीसीए मैदान – नागपुर, महाराष्ट्र – क्रिकेट
39. लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम – हैदराबाद, आंध्र प्रदेश – क्रिकेट
40. ग्रीन पार्क स्टेडियम – कानपुर, उत्तर प्रदेश – क्रिकेट
41. ब्रबोर्न स्टेडियम – मुंबई, महाराष्ट्र – क्रिकेट
42. गुरू गोविन्द सिंह स्टेडियम – नादेड, महाराष्ट्र – क्रिकेट
43. किला मैदान – पलकड केरल – फुटबाल
44. दिलीप टिर्की स्टेडियम – रांची, झारखंड – हॉकी
45. बिरसा मुंडा स्टेडियम – रांची, झारखंड – हॉकी
46. कलिंग स्टेडियम – भुवनेश्वर, ओडिशा – हॉकी
47. महिंद्रा स्टेडियम – मुंबई, महाराष्ट्र – हॉकी
48. ध्यानचंद Astroturf – लखनऊ, उत्तरप्रदेश – हॉकी
49. दादाजी kondadev स्टेडियम, – ठाणे, महाराष्ट्र – फुटबाल
50. गुरू नानक स्टेडियम – लुधियाना, पंजाब – फुटबॉल
51. नरेन्द्र मोदी स्टेडियम – मोटेरा अहमदाबाद (गुजराज) – क्रिकेट

भारत के प्रमुख हवाई अड्डे

हवाई अड्डा	शहर	राज्य
राजीव गांधी	हैदराबाद	तेलंगाना
गोपीनाथ बार्डोली	गुवाहाटी	असम
इंदिरा गांधी	नई दिल्ली	दिल्ली
सरदार वल्लभ भाई	अहमदाबाद	गुजरात
छत्रपती शिवाजी	मुम्बई	महाराष्ट्र
डॉ. बाबा साहेब भीम राव	नागपुर	महाराष्ट्र
लाल बहादुर शास्त्री	वाराणसी	उत्तरप्रदेश
नेताजी सुभाष चंद्र बोस	कोलकत्ता	पश्चिम बंगाल
स्वामी विवेकानंद	रायपुर	छत्तीसगढ
राजा भोज	भोपाल	मध्यप्रदेश
महाराणा प्रताप	उदयपुर	राजस्थान
सांगानेर	जयपुर	राजस्थान
वीर सावरकर	–	निकोबार
जय प्रकाश नारायण	पटना	बिहार
दिमापुर	दिमापुर	नागालैण्ड

प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम

क्र.सं.	उपनाम	व्यक्ति
1.	लोकमान्य	बाल गंगाधर तिलक
2.	लोकनायक	जयप्रकाश नारायण
3.	वयोवृद्ध महापुरूष	दादाभाई नौरोजी
4.	लौहपुरूष	वल्लभ भाई पटेल
5.	शान्तिपुरूष	लाल बहादुर शास्त्री
6.	युग पुरूष	महात्मा गांधी
7.	बापू	महात्मा गांधी
8.	राष्ट्रपिता	महात्मा गांधी
9.	नंगा फकीर	महात्मा गांधी
10.	पंजाब केसरी	लाला लाजपत राय
11.	बंगाल केसरी	ए.मुखर्जी
12.	देशरत्न	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
13.	देशबन्धु	चित्तरंजन दास
14.	दीनबन्धु	सी.एफ.एण्ड्रूज
15.	पण्डित जी	जवाहर लाल नेहरू
16.	चाचाजी	जवाहर लाल नेहरू
17.	महामना	मदनमोहन मालवीय
18.	गुरूदेव	रविन्द्र नाथ टैगोर
19.	नाइटएंगल ऑफ इण्डिया	सरोजनी नायडू
20.	नेताजी	सुभाष चन्द्र बोस
21.	स्पेरो	राजीन्दर सिंह
22.	शहीदे आजम	भगतसिंह
23.	भारत कोकिला	सरोजिनी नायडू
24.	स्वर कोकिला	लता मंगेशकर
25.	उडनपरी	पी.टी.ऊषा
26.	लाल,बाल,पाल	लाला लाजपत राय,बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल
27.	तोता –ए–हिन्द	अमीर खुसरो

28.	भारत का शेक्सपीयर	कालिदास
29.	भारत का नेपोलियन	समुद्रगुप्त
30.	मैन ऑफ ब्लड एण्ड आयरन	ओ.बी.बिस्मार्क
31.	इतिहास का पिता	हैरोडोट्स
32.	दवा का पिता	हिपोक्रेट्स
33.	बिहार का गांधी	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
34.	राजस्थान का गांधी	गोकुल भाई भट्ट
35.	बागड का गांधी	भोगीलाल पाण्ड्या
36.	ब्लैक गांधी	मार्टिन लूथर किंग
37.	सीमान्त गांधी	खान अब्दुल गफ्फार खान
38.	हॉकी का जादूगर	मेजर ध्यानचंद
39.	राजस्थान की मरू कोकिला	गवरी देवी
40.	विवेकानन्द	नरेन्द्रनाथ दत्त
41.	बंगाल का बाघ	आशुतोष मुखर्जी
42.	लाखबख्श	कुतुबद्दीन ऐबक
43.	बिना ताज का बादशाह	सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
44.	हरमिट ऑफ शिमला	ए.ओ.ह्यूम
45.	भारत का पितामह	दादाभाई नौरोजी

भारत के प्रमुख स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता

क्र. सं.	स्थल	स्थान/राज्य	निर्माणकर्ता	निर्माणवर्ष
1.	आगरा फोर्ट	आगरा (उत्तर प्रदेश)	अकबर	1566 ई.
2.	जहाँगीर महल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	अकबर	1566 ई.
3.	अकबर का किला	आगरा (उत्तर प्रदेश)	जहाँगीर	1613 ई.
4.	शीशमहल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1637 ई.
5.	दीवाने खास	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1637 ई.
6.	जामा मस्जिद	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1644 ई.
7.	मोती मस्जिद	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1646-53 ई.
8.	ताजमहल	आगरा (उत्तर प्रदेश)	शाहजहाँ	1630-52 ई.
9.	लाल किला	दिल्ली	शाहजहाँ	1648 ई.
10.	जामा मस्जिद	दिल्ली	शाहजहाँ	1650-56 ई.
11.	एत्मादुद्दौला का मकबरा	आगरा (उत्तर प्रदेश)	नूरजहाँ	1622-28 ई.
12.	हुमायूँ का मकबरा	दिल्ली	हुमायूँ की बेगम	1665-74 ई.
13.	सफदरगंज का मकबरा	दिल्ली	शाजुद्दौला	1753-54 ई.
14.	स्वर्ण मंदिर	अमृतसर (पंजाब)	महाराजा रणजीत सिंह	1802 ई.
15.	कोणार्क मंदिर	पुरी (उडीसा)	नरसिंह देव प्रथम	13वीं. शताब्दी
16.	खजुराहो मंदिर	छतरपुर (मध्य प्रदेश)	चन्देल राजाओं ने	950-1050 ई.
17.	मोती मस्जिद	दिल्ली	औरंगजेब	1659 ई.
18.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	औरंगजेब	1679 ई.
19.	जूनागढ का किला	बीकानेर (राजस्थान)	राजा जयसिंह	1587 ई.
20.	कुतुबमीनार (नींव)	दिल्ली	कुतुबुद्दीन ऐबक	1199 ई.
21.	जन्तर-मन्तर	दिल्ली	राजा सवाई जयसिंह	1724 ई.
22.	जन्तर-मन्तर	जयपुर (राजस्थान)	राजा सवाई जयसिंह	1724-27 ई.
23.	विक्टोरिया मेमोरियल	कोलकाता (प.बंगाल)	लॉर्ड कर्जन	1906-1921 ई.
24.	गेटवे ऑफ इण्डिया	मुम्बई (महाराष्ट्र)	ब्रिटिश सरकार	1924 ई.
25.	गोलघर	पटना (बिहार)	कैप्टन जॉन गास्ट्रीन	1786 ई.
26.	हवामहल	जयपुर (राजस्थान)	सवाई प्रताप सिंह	1799 ई.
27.	दरगाह	अजमेर (राजस्थान)	सुल्तान म्यासुद्दीन	1464 ई.
28.	अढाई दिन का झोपडा	अजमेर (राजस्थान)	कुतुबुद्दीन ऐबक	1199 ई.
29.	चारमीनार	हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)	अली कुतुबशाही	1591 ई.
30.	साबरमती आश्रम	अहमदाबाद (गुजरात)	महात्मा गांधी	1918 ई.

राज्य एवं मुख्यमंत्री

राज्य	मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश	श्री वाईस जगन मोहन रेड्डी
अरुणाचल प्रदेश	श्री पेमा खांडू
असम	श्री हेमंत बिस्वा सरमा
बिहार	श्री नीतीश कुमार
छत्तीसगढ	श्री भूपेश बघेल
दिल्ली	श्री अरविंद केजरीवाल
गोवा	श्री प्रमोद सावंत
गुजरात	श्री भूपेन्द्र भाई पटेल
हरियाणा	श्री मनोहर लाल खट्टर
हिमाचल प्रदेश	श्री जयराम ठाकुर
झारखंड	श्री हेमंत सोरेन

कर्नाटक	श्री बसवराज बोम्मई
केरल	श्री पिनारई विजयन
मध्य प्रदेश	श्री शिवराज सिंह चौहान
महाराष्ट्र	श्री उद्धव ठाकरे
मणिपुर	श्री एन बीरेन सिंह
मेघालय	श्री कोनराड संगमा
मिजोरम	श्री पीयू जोरामथांगा
नागालैंड	श्री नेफियो रियो
ओडिशा	श्री नवीन पटनायक
पुडुचेरी (यू.टी.)	श्री वी नारायणरंगासामी
पंजाब	श्री भगवंत मान
राजस्थान	श्री अशोक गहलोत
सिक्किम	श्री प्रेम सिंह तमांग
तमिलनाडु	श्री एम.के.स्टॉलिन
तेलंगाना	श्री चंद्रशेखर राव
त्रिपुरा	श्री विप्लव कुमार देव
उत्तर प्रदेश	श्री योगी आदित्यनाथ
उत्तराखंड	श्री पुष्कर सिंह धामी
पश्चिम बंगाल	सुश्री ममता बनर्जी

विधानसभा और विधान परिषद् की सदस्य संख्या

राज्य	विधान सभा सीट	विधान परिषद् सीट
अरुणाचल प्रदेश	60	–
असम	126	–
आन्ध्रप्रदेश	175	58
उडीसा	147	–
उत्तर प्रदेश	403	100
उत्तराखण्ड	70	–
कर्नाटक	224	75
केरल	140	–
गुजरात	182	–
गोवा	40	–
छत्तीसगढ	90	–
झारखण्ड	81	–
तमिलनाडु	234	–
नागालैण्ड	60	–
पंजाब	117	–
प. बंगाल	294	–
बिहार	243	75
मणिपुर	60	–
मध्यप्रदेश	230	78
महाराष्ट्र	288	–
मिजोरम	40	–
मेंघालय	60	–
राजस्थान	200	–
सिक्किम	32	–
हरियाणा	90	–
हिमाचल प्रदेश	68	–
त्रिपुरा	60	–
तेलंगाना	119	43

केन्द्र शासित प्रदेश

क्र.सं.	राज्य (केन्द्र शासित प्रदेश)	विधान सभा सीट	विधान परिषद् सीट
1.	दिल्ली	70	–
2.	जम्मू-कश्मीर	87	36
3.	पुदुचेरी	30	–

राज्यपाल की सूची

राज्य का नाम	राज्यपाल का नाम
अरुणाचल प्रदेश	ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा
असम	जगदीश मुखी
आंध्र प्रदेश	विश्व भूषण हरिचंदन
उत्तर प्रदेश	आनंदी बेन पटेल
उत्तराखंड	बेबी रानी मौर्य
ओडिशा	गणेशी लाल
कर्नाटक	वजू भाई
केरल	आरिफ मोहम्मद खान
गुजरात	आचार्य देव व्रत
गोवा	भगत सिंह कोश्यारी
छत्तीसगढ	अनुसुइया उइके
झारखंड	द्रौपती मुर्मू (अतिरिक्त कार्यभार)
तमिलनाडु	बनवारी लाल पुरोहित
तेलंगाना	डॉक्टर तमिलिसाइ सुन्दरराजन
त्रिपुरा	रमेश बैस
नागालैंड	आर. एन. रवि
पंजाब	विजेन्द्र पाल सिंह बदनौर
सिक्किम	गंगा प्रसाद
हरियाणा	सत्यदेव नारायण
हिमाचल प्रदेश	बंडारू दत्तात्रेय
पश्चिम बंगाल	जगदीप धनखड
बिहार	फागु चौहान
मणिपुर	नजमा हेमतुल्ला
मध्य प्रदेश	आनन्द दी बेन पटेल
महाराष्ट्र	भगत सिंह कोश्यारी
मिजोरम	पी एस श्रीधरन पिल्लई
मेघालय	सत्यपाल मलिक
राजस्थान	कलराज मिश्र